व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के बारे में :

बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे कि सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 04.11.2015 और 26 अक्तूबर 2019 की सेबी अधिसूचना क्र. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/45 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बीएसई एवं एनसीई में बाज़ार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मार्च तक गणना करते हुए) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उन सूचीबद्ध कंपनियां जो कि सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य फ्रेमवर्क के आधार पर संवहनीयता रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, को अलग से बीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है तथा वह अपने अंशधारकों को केवल बीआरआर तैयार करने के फ्रेमवर्क का विवरण दे सकते हैं तथा वह अपने संवहनीयता रिपोर्ट में उन सिद्धांतों को जोड़ सकते हैं। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, को बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर निवेशक संबंध लिंक के अंतर्गत रखा गया है। जो भी शेयरधारक इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने के इच्छुक हैं वह बैंक को लिख सकते हैं (ईमेल आईडी: dgm.csr@sbi.co.in एवं डाक का पता: उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता), भारतीय स्टेट बैंक, 9वीं मंजिल, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021)

सामुदायिक शांति के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए का दान

सशस्त्र बल फ्लैग दिवस निधि के लिए 10 करोड़ रुपए का दान

कोलकाता में गैर-सरकारी संगठन अंतरा द्वारा संचालित साइक्रिएटिक अस्पताल को दान